न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03/2023

अपीलार्थी

श्री उम्मेदसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति राजपूत निवासी अनादरा तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. श्रीमती यशोदा कंवर पत्नि श्री भोपालसिंह पुत्री श्री केसरसिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत वास पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री बलवन्तसिंह पुत्र श्री केसरसिंह जाति राजपूत निवासी पिण्डवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा जिला सिरोही।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री दिनेश कुमार सुराणा, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से।
3. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 04.09.2023

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 01/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2023 के विरूद्ध दिनांक 01.08.2023 को प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा मौजा कांटल पटवार हल्का अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 84 एवं 576 का नामान्तकरण गेहरीदेवी द्वारा निष्पादित तथाकथित अपंजीकृत वसीयत दिनांक 08.06.2021 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के हक में दायर करने का आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि उक्त वसीयतनामा दिनांक 08.06.2021 संदिग्ध प्रलेख है, जिसके सम्बन्ध में बिना किसी जांच के आलोच्य नामान्तरकरण दायर करने का

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया अपास्त किए जाने योग्य है। यह कि गेहरीदेवी उक्त सम्पत्ति की कभी भी रेकार्डेड खातेदार कृषक नहीं रही है। यह कि अपीलांट व अन्य ने तहसीलदार पिण्डवाडा को प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस अपने अधिवक्ता के जरिए दिनांक 26.05.2022 एवं दिनांक 14.06.2022 को प्रेषित करवाए, लेकिन तहसीलदार पिण्डवाडा ने उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया है कि अपीलांट की ओर से नोटिस के जरिए यह दर्शाया गया था कि श्री रघुनाथसिंह या गेहरी बाई ने प्रश्नगत कृषि भूमि का कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है एवं गेहरी बाई की मृत्यु दिनांक 11.02.2022 को हुई है। अतः तथाकथित वसीयतनामा फर्जी व कूटरचित है इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार की कोई विधिक जांच नहीं की है एवं न ही करवाई है एवं जल्दबाजी में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आलोच्य नामान्तकरण दायर करने का निर्णय दिनांक 19.07.2023 को पारित किया गया है, जिसमें अपीलांट द्वारा उक्त सम्पत्ति के बारे में प्रेषित किए गए नोटिस का कोई विवेचन या विश्लेषण नहीं किया गया है। यह कि यशोदा कंवर पत्नि श्री भोपालसिंह एवं बलवन्तसिंह, गेहरीदेवी या रघुनाथसिंह के निकट रिश्तेदार नहीं है, वरन् अपीलांट श्री उम्मेदसिंह की माता बसन्त कुंवर, गेहरी देवी एवं रघुनाथसिंह के नजदीकी रिश्तेदार है अर्थात रघुनाथसिंह, अपीलांट उम्मेदसिंह की माता बसन्तकुंवर के सगे चाचा थे। श्री रघुनाथसिंह एवं गेहरीबाई नाऔलाद फौत हुए थे एवं इनके द्वारा किसी भी पुत्र को गोद नहीं लिया गया था। यह कि अपीलांट ने दिनांक 18.03.2023 को प्रश्नगत कृषि भूमि का नामान्तरकरण श्री रघुनाथसिंह के भाई तख्तसिंह के वारिसान के नाम से दायर करने का आवेदन एवं शपथ पत्र तहसीलदार पिण्डवाडा को प्रस्तुत किया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पर कोई गौर नहीं किया है, जिससे आलोच्य निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अपीलांट व अन्य ने राजस्थान राज्य के विरूद्ध धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 04.07.2023 को सहायक कलक्टर न्यायालय पिण्डवाडा में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है तथा वाद प्रस्तुति से पूर्व तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 20.04.2023 को पंजीकृत डाक से नोटिस प्रेषित करवाया है, जो तहसीलदार पिण्डवाडा को प्राप्त हुआ है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को उक्त प्रकरण में सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, जबकि अपीलांट ने नोटिस के जरिए तहसीलदार पिण्डवाडा को पूर्व से ही आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का खुला उल्लघंन

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया है, जिससे उक्त निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 19.07.2023 को अपास्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा ने दौराने बहस निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में किसी भी प्रकार की कानूनन व वाक्यातन गलती नहीं की गई है। यह है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा के समक्ष अपने पक्ष में गेहरीदेवी द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयत दिनांक 08.06.2021 के आधार पर ग्राम कांटल की उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करने हेतु आवेदन दिनांक 05.04.2023 को प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 दर्ज कर आम आपत्ति नोटिस जारी किए गए, जिन्हें ग्राम पंचायत अजारी, पटवार घर अजारी, सार्वजनिक चौराहा ग्राम कांटल तथा दैनिक समाचार पत्र में भी आपत्ति नोटिस प्रकाशित करवाया गया। बावजूद आपत्ति नोटिस किसी ने कोई ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर तहसीलदार पिण्डवाडा ने बाद जांच व साक्षी बयान कलम बद्ध कर रेस्पोडेन्ट के नाम से वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 19.07.2023 को विधिवत रूप से पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं है। मृतक गेहरी देवी का प्रश्नगत कृषि आराजी में अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में खातेदारी हक अधिकार उत्पन्न हो गए थे, जिससे उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में वसीयत करने का पूर्ण हक अधिकार था। यह कि दिनांक 20.04.2023 के नोटिस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण संख्या 2 दर्ज कर तहसीलदार पिण्डवाडा ने सुनवाई शुरू की, जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरण पर अपीलार्थी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की और अपीलार्थी का प्रश्नगत कृषि भूमि में गेहरी देवी के हक हिस्से में कोई हित अधिकार नहीं है वरन् मृतक गेहरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व रेस्पोडेन्ट के पक्ष में अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 08.06.2021 को निष्पादित की थी, उसके बाद दिनांक 11.02.2022 को गेहरी देवी पत्नि श्री रूगनाथसिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त वसीयत के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट का हक अधिकार उत्पन्न हो गया है, जिसमें अपीलार्थी को दखल पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह कि अपीलार्थी का रघुनाथसिंह व गेहरीदेवी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, स्व. श्री रघुनाथसिंह के बडे भाई तखतसिंह ने अपनी विवाहिता पत्नि के जीवित रहते एक अन्य तलाक शुदा व एक पुत्री वसन्त कुंवर की माता के साथ अवैध सम्बन्ध बनाए थे, उक्त तलाकशुदा स्त्री की

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अपने तलाकशुदा पति से एक पुत्री अपीलार्थी की माता वसन्त कुंवर थी, जिसे वह अपने साथ तख्तसिंह जी के पास लेकर आई थी और बसन्त कुंवर ने बाद में अपनी ही गोत्र में शादी करने से तख्तसिंह ने उससे मिलना जुलना भी बन्द कर दिया था, जिसका तख्तसिंह जी सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नहीं है और न ही वसन्त कुंवर के पुत्र के रूप में अपीलार्थी उम्मेदसिंह का भी तख्तसिंह व रघुनाथसिंह जी की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा को उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण हेतु आवेदन पेश किया था, जिसमें रेस्पोडेन्ट ने उक्त आपत्ति पेश की है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्टगण को हैरान–परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है, जिसे खारिज किया जाना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या तीन की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय उक्त वसीयत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जांच किए जाने के पश्चात ही उक्त निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं अतः अपीलान्ट की अपील खारिज किया जाना फरमावें।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुँ कि ग्राम कांटल पटवार हल्का अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154, 84 एवं 576 की कृषि आराजी श्री रघुनाथसिंह के नाम से आई हुई थी एवं श्री रघुनाथसिंह की मृत्यु के बाद उक्त कृषि आराजी की वारिसदार उनकी पत्नि श्रीमती गेहरीदेवी थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का दिनांक 08.06.2021 को श्रीमती गेहरीदेवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या एक के पक्ष में अपंजीकृत वसीयतनामा करवाया गया था, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या दो का गोदी पुत्र होने का उल्लेख किया गया है एवं उक्त वसीयत में श्रीमती गेहरीदेवी की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो का समान अधिकार होने का उल्लेख किया गया है। श्रीमती गेहरीदेवी की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो द्वारा उक्त वसीयतनामा के आधार पर उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार पिण्डवाडा को आवेदन किया, जिस पर तहसीलदार पिण्डवाडा ने प्रकरण संख्या 01/2023 दर्ज रजिस्टर

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

किया गया। चूंकि उक्त वसीयतनामा अपंजीकृत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वसीयत की जांचे एवं आपत्ति हेतु सभी सम्बन्धितों एवं नौटेरी पब्लिक को भी तहरीर जारी की गई एवं आम नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर अपना हक अधिकार बताते हुए अपीलार्थी द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 02/2023 दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसमें भी रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो एवं पटवारी हल्का अजारी को मय रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने हेतु तहरीर जारी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों ही प्रकरण क्रमशः 01/2023 एवं 02/2023 में दिनांक 19.07.2023 तारीख पेशी नियत की गई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 01/2023 एवं 02/2023 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहसीलदार पिण्डवाडा को यह भलीभांति ज्ञात हो गया था कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी पर अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो अपना–अपना हक अधिकार बता रहे है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2023 को उसी दिन प्रकरण संख्या 01/2023 में यह अंकित करते हुए आदेश पारित किया गया कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं प्रकरण संख्या 02/2023 में अगली तारीख पेशी दी गई। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में आम नोटिस के जरिए आपत्ति आमंत्रित की थी एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को प्रकरण संख्या 02/2023 पर दर्ज किया जाकर उसका निस्तारण किए बगैर ही प्रकरण संख्या 01/2023 में आदेश पारित कर दिया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश में भी किसी भी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो के नाम से दर्ज किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत RRT 2023 Part- 1 Page No. 93 एवं Rajasthan Land Revenue (Land Record) Rules, 1957 Rule 132 के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर
न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2023 में पारित आदेश दिनां
निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश
किया जाता है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या एक व दो व
अवसर दिया जाकर एवं उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी के सम्ब
आपत्ति का निस्तारण किए जाने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय

निर्णय आज दिनांक 04.09.2023 को सरे इजलास सुनाया ग

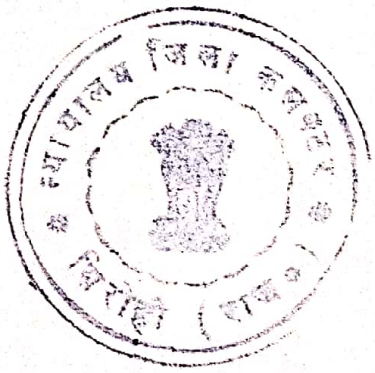

जिल

Scanned with CamScanner